नेतरहाट आवासीय विद्यालय

नेतरहाट

प्राचार्य कार्यालय

नीलामी सूचना

संख्याः 166 दिनांकः 31-07-2023

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नेतरहाट विद्यालय समिति के निम्न स्कार्पियो की नीलामी दिनांक:-10.08.2023 को समय अप. 12:30 बजे नेतरहाट विद्यालय समिति कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची में निर्धारित की गयी है। जिसकी विवरणी निम्न है:-

क्रम. सं.	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का निर्माण वर्ष	न्यूनतम दर	अग्रधन की राशि
01	JH01AX9121	SCORPIO -LX	2012	300500/-	30000/-

नीलामी की आवश्यक शर्तें निम्न प्रकार है:-

1. नीलामी का आधार" वाहन जो जहाँ है जैसा है" होगा। भौतिक रूप से उपलब्ध वाहन की स्थिति या वाहन का कागजात जिस स्थिति में होगा, इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. वाहन की नीलामी हेतु डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को वाहन का न्यूनतम अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
3. उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली गई राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम अगले दिन कार्यालय अवधि में जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन के रूप में जमा की गयी राशि जप्त कर ली जाएगी।
4. नीलामी के पूर्व SCORPIO संख्या- JH01AX9121 के लिए ऊपर वर्णित तालिका में बैंक ड्राफ्ट दिनांक:10.08.2023 को कार्यालय अवधि में जो प्राचार्य,नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम से भुगतेय होगा ड्राफ्ट सभापति, नेतरहाट विद्यालय समिति के कार्यालय, रांची में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नीलामी में भाग लेने के अधिकारी नहीं होंगे। नगद राशि किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं की जाएगी। डाक सफल होने पर उक्त राशि वाहन राशि से समायोजित कर दी जाएगी।
5. उच्चतम दो डाक वक्ताओं को छोड़कर शेष को उनकी अग्रधन की राशि तत्काल वापस कर दी जाएगी। उच्चतम डाक वक्ता द्वारा डाक की पूरी राशि जमा कर देने के बाद द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता की अग्रधन की राशि लौटाई जाएगी।
6. उच्चतम डाक वक्ता द्वारा डाक की राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं करने पर अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी तथा द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता को वाहन क्रय का अवसर दिया जायेगा। यदि द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता भी निर्धारित अवधि में डाक की पूरी राशि जमा करने में असफल रहते हैं तो उनकी भी अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी तथा सम्बंधित वाहन की नीलामी नए सिरे से की जाएगी।
7. नीलामी के पश्चात सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त वाहन/स्कार्पियो विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाएगा और तभी नेतरहाट विद्यालय समित कार्यालय,प्रोजेक्ट भवन परिसर,धुर्वा, रांची से नीलाम वाहन/स्कार्पियो को हटाया जा सकेगा।
8. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये नीलामी को स्थगित/संशोधित या रद्द कर सकते हैं।
9. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र(वोटर आई.डी./आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/बैंक अकाउंट की प्रति) अपने साथ रखना होगा तथा राशि जमा करते समय छायाप्रति उपलब्ध कराना होगा अन्यथा नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।
10. नीलामी की प्रक्रिया गठित समिति की समक्ष की जाएगी, कोई विवाद होने पर समिति का फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
11. SCORPIO संख्या- JH01AX9121 को कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है।

ह./- प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय

प्रतिलिपि:1. माननीय सभापति, कार्यकारिणी समिति को सादर सूचनार्थ।

2. प्रशासनिक पदाधिकारी/कोषपाल/लेखापाल/रोकड़पाल/भण्डार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. प्रेषण शाखा को निर्देश दिया जाता हैकि इसकी प्रति विद्यालय सूचना पट/ बाजार/विद्यालय वेबसाइट/PRD के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेतर करवाई करें।

31/7/23

प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय